सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 15, शुक्रवार, शाके 1944-अक्टूबर 07, 2022 *Asvina 15, Friday , Saka 1944- October 07, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वित्त (कर) विभाग

आदेश

जयपुर, सितम्बर 22, 2022

विषयः-राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत राजस्थानी फिल्मों के संबंध में मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर में प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सबंध में।

संख्या प.24(1)वित्त/कर/2021-44 :-राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत राजस्थानी फिल्मों के प्रदर्शन के संबंध में मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर में प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सबंध में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन राज्य माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति किये जाने का निश्चय किया गया हैः-

1. राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 के भाग-।।, राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण प्रोत्साहन एवं अनुदान नीति-2022 के अन्तर्गत गठित फिल्म परीक्षण समिति द्वारा पात्र पायी गयी राजस्थानी फिल्म के प्रदर्शन हेतु पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) को प्रवेश हेतु देय एवं जमा एस.जी.एस.टी. का पुनर्भरण देय होगा।
2. फिल्म के प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमा/मल्टीप्लेक्स के प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी और न ही विभिन्न श्रेणियों के आसन क्षमता में परिवर्तन किया जायेगा।
3. पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) द्वारा राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण प्रोत्साहन एवं अनुदान नीति-2022 की क्रियाशील अवधि के अन्दर प्रदर्शित होने वाली फिल्म के दौरान, एस.जी.एस.टी. की धनराशि को घटाकर दर्शकों को टिकटों का विक्रय किया जायेगा।
4. फिल्म पर आगणित राज्य माल और सेवा कर की धनराशि, पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) द्वारा स्वयं, राजकोष में उसी विहित प्रक्रिया के अनुसार जमा की जायेगी जैसे इस आदेश के अतिरिक्त प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों हेतु विहित है।
5. पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) द्वारा दर्शकों से एस.जी.एस.टी. की वसूली यदि कर ली गई है तो उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
6. मुख्य आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन एवं प्रक्रिया के सबंध में पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।
7. पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) को उपर्युक्त पुनर्भरण राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण प्रोत्साहन एवं अनुदान नीति-2022 की पात्रता की शर्तों को परिपूर्ण करने पर ही देय होगा।

8. यह आदेश राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण प्रोत्साहन एवं अनुदान नीति-2022 की क्रियाशील अवधि तक प्रभावी रहेगा।
9. यदि पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) द्वारा राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण प्रोत्साहन एवं अनुदान नीति-2022 के अन्तर्गत राजस्थानी फिल्म के प्रदर्शन पर अनुचित तरीके से एस.जी.एस.टी. पुनर्भरण का लाभ प्राप्त किया जाता है तो संबंधित करदाता से एस.जी.एस.टी. की वसूली, कर के बकाया के रूप में होगी तथा बकाया कर संदत्त नहीं किए जाने की तिथि से 18 प्रतिशत की दर से ब्याज राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत वसूल किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

जसवंत सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।